

// कार्यालय आदेश //

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (क) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित संस्था सुगम से दुर्गम पर किया जाता है।

| क्र०सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम               | वर्तमान तैनाती का स्थान  | स्थानान्तरित संस्था का नाम                | स्थानान्तरण का प्रकार |
|---------|--|--|---|-----------------------|
| 1       | श्री धीरेन्द्र सिंह खाती, कनिष्ठ सहायक | कार्यालय - अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत | जनहित                 |

1-स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 22 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

2-सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार स्थान हेतु तत्काल अवमुक्त करेंगे।

3-स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उनका वेतन वर्तमान तैनाती स्थान के कोषागार से आहरित नहीं किया जायेगा।

4-सम्बन्धित कर्मचारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार अवधि का उपयोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही करेंगे तथा कार्यमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5-स्थानान्तरण कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7-स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

ह० / (डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्रांक 1175 /स्था०-1 /वा०स्थाना०-लिपिक संवर्ग /2018-19

दिनांक 8/6/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।

2-

देयक सहायक, मुख्यालय।

3-

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत।

4-

वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।

5-

मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।

(डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

// कार्यालय आदेश //

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (क) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित संस्था सुगम से दुर्गम पर किया जाता है।

| क्र०सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम                | वर्तमान तैनाती का स्थान                      | स्थानान्तरित संस्था का नाम                  | स्थानान्तरण का प्रकार |
|---------|---|--|---|-----------------------|
| 1       | श्री महेन्द्र सिंह बर्गली, वरिष्ठ सहायक | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ | जनहित                 |

1-स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 22 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

2-सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार स्थान हेतु तत्काल अवमुक्त करेंगे।

3-स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उनका वेतन वर्तमान तैनाती स्थान के कोषागार से आहरित नहीं किया जायेगा।

4-सम्बन्धित कर्मचारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार अवधि का उपयोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही करेंगे तथा कार्यमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5-स्थानान्तरण कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7-स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

ह०/(डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्रांक 1176

/स्था०-1/वा०स्थाना०-लिपिक संवर्ग/2018-19

दिनांक 8/6/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।

मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।

1-

2-

3-

(डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।



// कार्यालय आदेश //

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ग) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित संस्था दुर्गम से सुगम पर किया जाता है।

| क्र०सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम            | वर्तमान तैनाती का स्थान                       | स्थानान्तरित संस्था का नाम  | स्थानान्तरण का प्रकार |
|---------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| 1       | श्री पंकज सिंह रावत<br>कनिष्ठ सहायक | कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,<br>चम्पावत | कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाल मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल | जनहित                 |

1-स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 22 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

2-सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार स्थान हेतु तत्काल अवमुक्त करेंगे।

3-स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उनका वेतन वर्तमान तैनाती स्थान के कोषागार से आहरित नहीं किया जायेगा।

4-सम्बन्धित कर्मचारी नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार अवधि का उपयोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही करेंगे तथा कार्यमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमत्य यात्रावधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5-स्थानान्तरण कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7-स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

ह० / (डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाल मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।  
पत्रांक 1177 /स्था०-1/वा०स्था०-विविध संवर्ग/2018-19

दिनांक 8/6/2018  
प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- देयक सहायक मुख्यालय।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।

(डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

// कार्यालय आदेश //

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ग) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित संस्था दुर्गम से सुगम पर किया जाता है।

| क्र०सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम           | वर्तमान तैनाती का स्थान                        | स्थानान्तरित संस्था का नाम                      | स्थानान्तरण का प्रकार |
|---------|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| 1       | श्रीमती ज्योति भदट<br>वरिष्ठ सहायक | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,<br>पिथौरागढ़ | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,<br>उधमसिंहनगर | जनहित                 |

1-स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 22 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

2-सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार स्थान हेतु तत्काल अवगुप्त करेंगे।

3-स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उनका वेतन वर्तमान तैनाती स्थान के कोषागार से आहरित नहीं किया जायेगा।

4-सम्बन्धित कर्मचारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार अवधि का उपयोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही करेंगे तथा कार्यमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5-स्थानान्तरण कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7-स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

ह० / (डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्रांक 1178 /स्था०-1/वा०स्थाना०-लिपिक संवर्ग/2018-19

दिनांक 8/6/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।

(डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

// कार्यालय आदेश //

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ग) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के निर्णय एवं संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित संस्था दुर्गम से सुगम पर किया जाता है।

| क्र०सं० | कार्मिक का नाम एवं पदनाम            | वर्तमान तैनाती का स्थान                    | स्थानान्तरित संस्था का नाम                | स्थानान्तरण का प्रकार |
|---------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|
| 1       | श्री-नन्दन सिंह परिहार प्रधान सहायक | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर | कार्या०-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल | जनहित                 |

1-स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 22 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

2-सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार स्थान हेतु तत्काल अवमुक्त करेंगे।

3-स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उनका वेतन वर्तमान तैनाती स्थान के कोषागार से आहरित नहीं किया जायेगा।

4-सम्बन्धित कर्मचारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार अवधि का उपयोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही करेंगे तथा कार्यमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि का ही उपयोग कर सकेंगे।

5-स्थानान्तरण कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6-स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7-स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

ह० / (डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्रांक 1179 /स्था०-1/वा०स्थाना०-लिपिक संवर्ग/2018-19

दिनांक 8/6/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।

2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।

4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।

(डा० पी०सी०काण्डपाल)  
अपर निदेशक।